रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-103/2025/331/22-2-2025-17(1227)/2023
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2025

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रफत (बन्दी संख्या-8831/2011) पुत्र श्री सदाकत, निवासी-जड़ौदा, थाना-किठौर, जनपद-मेरठ को कारागार से मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-66/2025/993/22-2-2024-17(1227)/2023, दिनांक 25.01.2025 में सत्र परीक्षण संख्या-134/2008 के स्थान पर सत्र परीक्षण संख्या-1418/2007 त्रुटिवश अंकित हो गया है, अतः सत्र परीक्षण संख्या-1418/2007 के स्थान पर "सत्र परीक्षण संख्या-134/2008" पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंकित तथ्य यथावत रहेंगे।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-103/2025/331(1)/22-2-2025-17(1227)/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
3- पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी / अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in